भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1082

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ता

†1082. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार आशा कार्यकर्ताओं के वेतन और सेवा शर्तों के व्यापक पुनरुद्धार के लिए एक समिति नियुक्त करने का है;
(ख) यदि हाँ, तो इस पर की गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल में आशा कार्यकर्ता वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं;
(घ) यदि हाँ, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार की क्या पहल है;
(ङ) क्या केंद्र सरकार का आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(छ) प्रत्येक राज्य में आशा कार्यकर्ताओं के मासिक पारिश्रमिक और केंद्र सरकार के योगदान का ब्यौरा क्या है;
(ज) क्या सरकार का आशा कार्यकर्ताओं की समाज के प्रति उनके कर्त्तव्य और सेवा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन और सेवा शर्तों को संशोधित करने का विचार है; और
(झ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (झ): विभिन्न समीक्षा बैठकों और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठकों के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आशा कार्यकर्ताओं के सामने आने वाले मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करते हैं। हालाँकि, स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन हैं।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के लिए प्रोत्साहन संरचना को नियमित रूप से संशोधित किया गया है और कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप समय-समय पर प्रोत्साहन राशि जोड़ी गई है।

आशा कार्यकर्ताओं को सहायता सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उल्लिखित आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के आधार पर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और वे कार्य/कार्यकलाप आधारित प्रोत्साहन पाने की हकदार हैं। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए ₹3500/- प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जोकि हाल ही में दिनांक 4 मार्च, 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में ₹2000/- प्रति माह से संशोधित किया गया है।

आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विविध प्रकार के कार्यकलापों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से कुछ को हाल ही में मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में संशोधित किया गया है। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-update-2024-25/ASHA/ASHA-Incentives-July-2025.pdf

प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित मासिक मानदेय या अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है। ये राज्य-विशिष्ट प्रोत्साहन 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के कोष से प्रदान किए जाते हैं। विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशा कार्यकर्ता, निगरानी किए गए प्रदर्शन संकेतकों (प्रति माह ₹1000 तक) के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए भी पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर-मौद्रिक प्रोत्साहनों जैसे - आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, दवा किट, आशा विश्राम कक्ष आदि की भी हकदार हैं।

सरकार ने दिनांक 4 मार्च, 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में ₹20,000/- से संशोधित ₹50,000/- की सम्मान राशि को भी मंज़ूरी दी है। साथ ही, कम से कम 10 वर्षों तक आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा।

वर्ष 2018 में, आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। यह पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) जिसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹2.00 लाख का लाभ दिया जाएगा (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जिसमें आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांग्ता पर ₹2.00 लाख का लाभ दिया जाएगा; आंशिक दिव्यांग्ता पर ₹1.00 लाख का लाभ दिया जाएगा (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।

इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000/- प्रति माह पेंशन लाभ (प्रीमियम का 50% भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा अंशदान) के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

***

अनुलग्नक

राज्य विशिष्ट निश्चित प्रोत्साहन/मानदेय (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित)

क्र. सं.	राज्य	*राज्य विशिष्ट निश्चित प्रोत्साहन/मानदेय*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	500/- रुपये
2	आंध्र प्रदेश	7200/- रुपये
3	अरुणाचल प्रदेश	2000/- रुपये
4	असम	1000/ रुपये
5	बिहार	1000/- रुपये
6	छत्तीसगढ़	2200/- रुपये
7	दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीव	2000/- रुपये
8	दिल्ली	500-3,000/- रुपये
9	गुजरात	2500/- रुपये
10	हरियाणा	6100/- रुपये
11	हिमाचल प्रदेश	5500/- रुपये
12	जम्मू और कश्मीर	शून्य
13	झारखंड	2000 रुपये
14	कर्नाटक	5000 रुपये
15	केरल	7000 रुपये
16	लद्दाख	शून्य
17	लक्षद्वीप	शून्य
18	मध्य प्रदेश	4000/- रुपये
19	महाराष्ट्र	10000/- रुपये
20	मणिपुर	1000/- रुपये
21	मेघालय	3000/- रुपये
22	मिज़ोरम	शून्य
23	नागालैंड	शून्य
24	ओडिशा	3500/- रुपये
25	पुडुचेरी	7,000/- रुपये
26	पंजाब	2,500 रुपये
27	राजस्थान	4500/- रुपये
28	सिक्किम	10,000/- रुपये
29	तमिलनाडु	शून्य
30	तेलंगाना	6750/- रुपये
31	त्रिपुरा	1000/- रुपये
32	उत्तर प्रदेश	1500/- रुपये
33	उत्तराखंड	3000/- रुपये
34	पश्चिम बंगाल	5,250/- रुपये

*****